

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/के-43/2018/

दिनांक:

—:आदेश:—

कनिका चौहान, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेपू जोधपुर का निम्न अवधि का असाधारण अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इस आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावेगा :-

1.	दिनांक 23.01.2017 से 08.05.2017 तक	—	106 दिवस
2.	दिनांक 25.05.2017 से 26.05.2017 तक	—	02 दिवस
3.	राजपत्रित अवकाश दिनांक 27.05.2017 से 28.05.2017 तक	—	02 दिवस
कुल योग			110 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 78 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

Sd.
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर


दिनांक: 13.11.2018

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/के-43/2018/365

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

5. प्रभारी, सर्वर रूम (स्विभागीय वेब साइट)



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर